

इसे वेबसाइट [www.govtpress.mp.gov.in](http://www.govtpress.mp.gov.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल 2026—चैत्र 13, शक 1948

### भाग ४

विषय—सूची

- |     |                        |                              |                                   |
|-----|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन | (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश           | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,      | (3) संसद् के अधिनियम.             |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.             |                                   |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

श्रम विभाग

संत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 64-2026-ए-सोलह.—

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2026

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 87 तथा धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 115 द्वारा यथा अपेक्षित पूर्व में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21 अगस्त, 2025 को सूचना के रूप में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 107 में,—

1. अनुसूची दो में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

\*3. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.—

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को बाध पर नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

2. अनुसूची तीन में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

\*3. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.—

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में या किसी कक्ष जिसमें सिले के अपरिष्कृत आक्साइड का अभिसाधन या लेपन कार्य किया जाता हो, नियोजित या कार्य करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

3. अनुसूची चार में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

\*4. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.-

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को अनुक्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट की गई किन्हीं भी संक्रियाओं में या किसी भी स्थल पर, जहाँ ऐसी संक्रियाएं की जाती हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

4. अनुसूची छह में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

\*4. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.-

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को अनुक्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट की गई किन्हीं भी संक्रियाओं में नियोजित या कार्य करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

5. अनुसूची सात में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"1. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में

प्रतिषेध.-

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को किसी भी ऐसे भवन में, जिसमें पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन किया जाता हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा या प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।"

6. अनुसूची दस में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"4. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में

प्रतिषेध.-

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।"

7. अनुसूची ग्यारह में, भाग नौ के स्थान पर, निम्नलिखित भाग स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

**“भाग—नौ**

**“18 वर्ष से कम उम्र के अल्पवय व्यक्तियों तथा गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के नियोजन पर प्रतिबंध।**

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को, गर्भवती स्त्री या स्तनपान कराने वाली माता और युवा व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुसूची ग्यारह की परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित किन्हीं भी प्रक्रियाओं में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

8. अनुसूची बारह में, अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाए, अर्थात्:—

**“5. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा तरुण व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.—**

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को अनुक्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट किसी भी संक्रिया में या किसी भी स्थान पर, जहां ऐसी संक्रियाएं की जाती हों, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

9. अनुसूची अठारह में, अनुक्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाए, अर्थात्:—

**“15. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.—**

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को

विलायक निस्सारण संयंत्र में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

- (2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

10. अनुसूची बीस में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

\*8. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.-

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को किसी भी मेंगनीज प्रक्रिया में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

11. अनुसूची इक्कीस में, अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

\*8. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.-

- (1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को किसी ऐसे कक्ष में, जिसमें बेन्जीन या बेन्जीयुक्त पदार्थों में उच्छन्न होना अन्तर्वलित हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

(12) अनुसूची बाईस में, अनुक्रमांक 3 में, बिन्दू (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित बिन्दु तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

\*(क). गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.-

(एक) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को पत्थरों को काटने या पत्थरों पर खांचा बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों पर नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(दो) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

13. अनुसूची -तेईस में, अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

\*5. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.-

(1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को किसी ऐसे कक्ष में, जहां कि उक्त प्रक्रियाएं की जा रही हों या किसी ऐसे कक्ष में, जहां खतरनाक कीटनाशक भण्डारित हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञान नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

14. अनुसूची चौबीस में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

8. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियों तथा अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध.-

(1) किसी भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्री, तरुण या बालक को किसी ऐसे कक्ष में, जिसमें उक्त प्रक्रियाएं की जाती हों, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी स्त्री को किन्हीं भी प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व हितलाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे पूर्ण गर्भावस्था की कालावधि और 6 माह के लिए स्तनपान की कालावधि के दौरान उसके नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 2<sup>nd</sup> April 2026

No. 64-2026-A-XVI.-In exercise of the powers conferred by Section 87 and Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Factories Rules, 1962, the same having been previously published as notice in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary), dated 21<sup>st</sup> August, 2025, as required by Section 115 of the said Act, namely:-

### AMENDMENTS

In the said rules, in rule 107,-

1. in Schedule II, for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

#### **"3. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work at a bath.
- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

2. In Schedule III, for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

#### **"3. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide or lead or pasting is carried on.
- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

3. In Schedule IV, for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

#### **"4. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in serial number 3 or at any place where such operations are carried on.
- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

4. In Schedule VI, for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

#### **"4. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in serial number 3.

- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

5. In Schedule VII, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

**"1. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work or shall be allowed to enter any building in which the generating of petrol gas from petrol is carried on.
- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

6. In Schedule X, for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

**"4. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any lead process.
- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

7. In Schedule XI, for Part IX, the following Part shall be substituted, namely:-

**"Part IX**

Restriction on the employment of young persons under 18 years of age and pregnant or lactating women.

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any of the processes covered in Appendix 'A' of Schedule XI on consideration of health and safety of pregnant woman and lactating mother and young persons.
- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

8. In Schedule XII, for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

**"5. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any of the operation specified in serial number 2 or at any place where such operations are carried on.
- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

9. In Schedule XVIII, for serial number 15 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

**"15. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in the solvent extraction plant.
- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

10. In Schedule XX, for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

**"8. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any manganese process.
- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

11. In Schedule XXI, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

**"6. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any work-room involving exposure to benzene or substances containing benzene.
- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

12. In Schedule XXII, in serial number 3, for point (a) and entries relating thereto, the following point and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

**"(a) Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (i) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in the machines used for cutting the stones or making grooves on the stones;
- (ii) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

13. In Schedule XXIII, for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

**"5. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any room in which the said processes are carried on or in any room in which dangerous pesticide is stored.

- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

14. In Schedule XXIV, for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

**"8. Prohibition relating to pregnant or lactating women and young persons.-**

- (1) No pregnant or lactating women, adolescent or child shall be employed or permitted to work in any room in which the said processes are carried on.
- (2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any prevailing laws and shall not be deprived of her employment during the period of complete pregnancy and lactation period for 6 months."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY KUMAR, Addl. Secy.